



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 322 राँची, मंगलवार,

19 जुलाई, 2022 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

#### संकल्प

27 जून, 2022

**संख्या-5/आरोप-1-403/2014-6680 (HRMS)--**श्री मनमोहन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-691A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू हजारीबाग के विरुद्ध उपायुक्त, हजारीबाग के पत्र, दिनांक 03.07.2008 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि नरेगा में कमीशनखोरी से तंग आकर चुरचू प्रखण्ड के बीराखाप टोला के निवासी श्री तापस सोरेन द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया। उक्त मामले की जाँच श्री बलदेव राज, अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी द्वारा की गई, जिसमें श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू हजारीबाग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।

उक्त मामले में श्री प्रसाद के विरुद्ध माण्डू (चरही) थाना कांड सं०- 251/08 दर्ज की गयी, जिसमें विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के आदेश सं०-2/जे०, दिनांक- 06.02.2009 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री प्रसाद द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उनके पत्र, दिनांक 23.06.2021 द्वारा इनके विरुद्ध दर्ज माण्डू (चरही) थाना कांड सं०-251/08, विशेष वाद सं०-13/2008 में श्री अमित शेखर,

माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"In the result, for the foregoing discussion, I come to the finding that the prosecution has completely failed to prove its case against the accused persons beyond reasonable doubt and therefore, they are found not guilty for the same and acquitted thereof. They and their sureties are discharged from the liability of their bail bounds. The accused persons are set at liberty."

श्री प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3882, दिनांक 11.08.2021 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से श्री प्रसाद के विरुद्ध दर्ज माण्डू (चरही) थाना कांड सं0-251/08, विशेष वाद सं0-13/2008 में श्री अमित शेखर, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है अथवा नहीं?, के संबंध में सूचना की माँग की गयी।

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1211/स्था०, दिनांक 18.10.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रसाद के विरुद्ध दर्ज माण्डू (चरही) थाना कांड सं0-251/08, विशेष वाद सं०-13/2008 में श्री अमित शेखर, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अमित शेखर, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो), हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मनमोहन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-6911/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग का नाम आपराधिक सूची से विलोपित किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.     | Decision of the Competent authority                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                               | 3                                                                                                                                                     |
| 1      | MANMOHAN PRASAD<br>BHR/BAS/3016 | श्री मनमोहन प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-691A/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चुरचू, हजारीबाग का नाम आपराधिक सूची से विलोपित किया जाता है। |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनमोहन प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**रंजीत कुमार लाल,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601

-----